बाल संरक्षण विषय पर पुलिस अधिकारियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

19 जनवरी 2017

राजस्थान पुलिस अकादमी द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से बाल विषय पर पुलिस अधिकारियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण 19 जनवरी 2017 को पुलिस लाईन सभागार में आयोजित किया गया। विश्वास शर्मा, आर.पी.ए. ने कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य पुलिस अधिकारियों को बच्चों के व्यवहार के लिए दक्षता देना उन पर लागू कानूनों अंतराष्ट्रीय संधियों की जानकारी देता बताया ताकि वे बाल अधिकार एवं पुलिस प्रक्रियाओं में व्याप्त अन्तर को ठीक कर बच्चों के सर्वोतम हित में कार्य कर सकें।

यदुराज शर्मा सलाहकार यूनिसेफ बाल अधिकारों पर व्याख्यान दिया जिसमें बाल अधिकारों में बच्चों के बुनयादि, पूर्ण स्वतन्त्रता एवं मानव अधिकार में समाहित होने एवं बच्चों को यह अधिकार जाति, धर्म, भाषा, लिंग एवं नस्ल के भेदभाव के बिना प्राप्त हाने की बात कही। इस सत्र में फिल्म एक था बचपन का प्रदर्शन किया गया। इस फिल्म के पद्रर्शन के पश्चात इसमें किशोर न्याय व्यवस्था पर आधारित सवालों पर चर्चा की।

श्रीमती अनुकृति उज्जैनियां अति. पुलिस अधीक्षक ने कहा कि किशारे न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों की सुरक्षा अधिनियम पर चर्चा करते हुए नये प्रावधानों की जानकारियां दी। किशोर न्याय व्यवस्था के विभिन्न मुद्दों, बोर्ड के अधिकार, जघन्य अपराधों का निर्धारण एवं इनकी जांच के लिए समय एवं जमानत सम्बन्धी प्रावधनों पर विस्तृत चर्चा की। उन्होनें बालकों के पुलिस के सम्पर्क में आने पर पुलिस द्वारा बरती सावधानियों के बारे में बताया।

महिला एवं बाल डेस्क की संरचना, उद्देश्यों एवं महत्व के बारे में प्रकाश डालते हुए कहा कि थाने पर महिलाओं व बालकों की त्वरित सुनवाई में डेस्क की प्रभावी भूमिकर है, साथ ही किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम, 2015 में वर्णित बाल कल्याण पुलिस अधिकारी महिला डेस्क प्रभारी को ऑफिसर को ही नामित किया जाना चाहिये।

धीरज वर्मा पुलिस निरीक्षक आरपीए ने किशोरों द्वारा मादक द्रव्य व्यापार में शामिल होने पर की जाने वाली कार्यवाहियों पर सवाल जवाब करते हुए सत्र की शुरूआत की। उन्होनें बाल विवाह एवं बाल श्रम के विभिन्न संदर्भो में पुलिस अधिकारियों की भूमिकाओं पर चर्चा की। बाल तस्करी पर चर्चा करते हुए करते हुए उसके सामाजिक, आर्थिक एवं बालकों पर पडने वाले शारीरिक एवं मानसिक प्रभावों पर प्रकाश डाला। बच्चों की तस्करी सीधे तौर पर बालश्रम के साथ जुडी हुई है, स्थानीय स्तर पर बाल श्रमिकों की कम उपलब्धता एवं नियोजक अपने अन्य लाभों के लिए अन्य राज्यों बच्चों को बहला फुसलाकर लाते है।

शालिनी गोयल एसीजेएम एवं अध्यक्ष किशोर न्याय बोर्ड, टोंक ने किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों की सुरक्षा अधिनियम पर चर्चा करते हुए पुलिस से इन दोनों कानूनों की न्यायकि प्रक्रियाओं पर जानकारियां दी। उन्होनें न्यायालयों में पत्रावलियों के प्रस्तुतीकरण में पुलिस अधिकारियों द्वारा होने वाली गलतियों पर चर्चा की। उन्होनें इस बात पर जोर दिया कि प्राथमिक सूचना रिपोर्ट के आधार पर तथ्यों का गहन परीक्षण करे, मौके पर रहे गवाहों की सुरक्षा एंव समय पर उपलब्धता तय करें।

प्रशिक्षण का आयोजन का कार्यक्रम की नोडल अधिकारी श्रीमती अनुकृति उज्जैनियां अति. पुलिस अधीक्षक आर.पी.ए., जयपुर के निर्देशन में किया गया। प्रशिक्षण में जिले के पुलिस निरीक्षक से लकेर पुलिस उप अधीक्षक स्तर के 34 पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया।